

विमान में हमले के दौरान बहादुरी की सराहना, दोनों दलों ने किया प्रस्ताव का समर्थन

कैप्टन रिमित माछर के सम्मान में अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी: अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने भारतीय पायलट कैप्टन रिमित माछर के सम्मान में प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। इसमें 30 सितंबर को फ्लॉइडुबई की उड़ान के दौरान हुए हमले में कैप्टन माछर की बहादुरी की सराहना की गई है।

प्रस्ताव में घटना को आतंकी हमला बताया गया और हमलावर को पकड़ने में मदद करने वाले यात्रियों की भी प्रशंसा की गई। फ्लॉइडुबई की उड़ान एफजेड4073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी। उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन माछर पर हमला हुआ, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद कुछ यात्री कॉकपिट में पहुंचे



और हमलावर को पकड़ लिया। विमान को सऊदी अरब के तबुक ले जाया गया, जहां कैप्टन का इलाज किया गया। हमले के बाद विमान में मौजूद दंत चिकित्सक डॉ. शोता मुसेव ने करीब 45 मिनट तक कैप्टन की मदद की। चीख

सुनकर वे कॉकपिट पहुंचे थे, जहां कैप्टन खून से लथपथ हालत में पड़े थे। मुसेव ने खून रोकने के लिए घावों पर दबाव बनाया और उन्हें होश में रखने के लिए लगातार बातचीत करते रहे। उन्होंने बताया कि कैप्टन के सिर और बाएं हाथ पर गहरे घाव थे।

मुसेव ने क्रू से बर्फ मंगाकर घावों पर लगाई और करीब 45 मिनट तक दबाव बनाए रखा। कैप्टन को होश में रखने के लिए उन्होंने उनसे परिवार और बच्चों के बारे में बात की। कैप्टन ने अपना नाम और उम्र बताई तथा कहा कि वे दुबई में रहते हैं और

भारत से हैं। दर्द के बीच उन्होंने मदद की गुहार लगाई।

मुसेव के अनुसार एक समय कैप्टन की नब्ज बहुत धीमी हो गई थी। उन्होंने पैर ऊपर किए, जिसके बाद नब्ज फिर चलने लगी। कैप्टन के होंठ नीले पड़ने पर उन्होंने विमान को जल्द उतारने की जरूरत बताई। कैप्टन ने दर्द की दवा मांगी, लेकिन अधिक रक्तस्राव के कारण मुसेव ने दवा देने से मना किया।

यूएई सरकार ने 3 अक्टूबर को बताया था कि को-पायलट हमाम अल-हमामी ने कैप्टन पर विमान में मौजूद आपातकालीन कुल्हाड़ी से हमला किया था। इसे 'क्रैश एक्स' कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में विमान के हिस्सों को काटने या फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने ली शपथ



► **न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हुई, तीनों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे**

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को तीन नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को शपथ दिलाई। तीनों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37

हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को तीनों नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। सुनीता अग्रवाल का जन्म 30 अप्रैल 1966 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई और अवध विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। करीब 21 वर्षों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी, रिट और वाणिज्यिक मामलों की वकालत की। 21 नवंबर 2011 को अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 2023 में लखनऊ पीठ और बाद में बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 21 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली।

2023 को उनका स्थानांतरण गुजरात हाईकोर्ट हुआ। वह 29 अप्रैल 2031 को सेवानिवृत्त होंगी। देवेंद्र कुमार उपाध्याय का जन्म 16 जून 1965 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के मुस्कुराई गांव में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दीवानी और संवैधानिक मामलों की वकालत की। 21 नवंबर 2011 को अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 2023 में लखनऊ पीठ और बाद में बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 21 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली।

एसीपी भगत को अतिरिक्त डीसीपी का प्रभार नहीं



► **तीन महिला पत्रकारों ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, प्राथमिकी और सीसीटीवी जांच की मांग जारी**

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एसीपी विवेक भगत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार देने पर रोक लगा दी है। उन पर 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार से कथित यौन उत्पीड़न का आरोप है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। दिल्ली सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के 12 अधिकारियों को अतिरिक्त डीसीपी का वर्तमान कार्यभार देने की प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया मौजूदा विवाद से पहले शुरू हुई थी। पांच अक्टूबर को मंजूरी के बाद आदेश जारी किया गया था। हालांकि, विवेक भगत ने

कथित उत्पीड़न के आरोपों की पूरी जांच होने तक अतिरिक्त डीसीपी का कार्यभार नहीं संभालने की इच्छा जताई। इसके बाद पहले जारी आदेश में बदलाव किया गया। बाकी 11 अधिकारियों के लिए कार्यभार का आदेश दोबारा जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यभार एक अस्थायी व्यवस्था है और इसे नियमित पदोन्नति नहीं माना जाता। इससे अधिकारी को अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं मिलता। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से तैनात अधिकारी के वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। वेतन, वरिष्ठता और अन्य नियमित सेवा लाभों पर भी इसका असर नहीं पड़ता। तीन अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इनमें एक पत्रकार ने एसीपी विवेक भगत पर सीने पर हाथ मारने का आरोप लगाया। आरोपों को लेकर पांच अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने और घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घटना के दिन फुटेज मांगी गई थी, लेकिन उन्हें 24 घंटे बाद आने को कहा गया। बाद में भी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई और प्राथमिकी या जांच की स्थिति की जानकारी नहीं मिली।



स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल

मस्कट, एजेंसी: ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पनामा के झंडे वाले व्यापारिक जहाज एमटी ऑन पीस पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। जहाज पर सवार 12 लोग घायल हुए, जिनमें 11 भारतीय हैं। जहाज में 19 सदस्य सवार थे, जिनमें 17 भारतीय नागरिक थे। ओमानी अधिकारियों

की मदद से घायलों को निकालकर खासाब में भर्ती कराया गया। भारत ने हमले की निंदा करते हुए क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमले तत्काल रोकने की मांग की। फरवरी से अब तक ऐसे हमलों में 100 से अधिक भारतीय नाविक प्रभावित हुए हैं, जबकि 11 भारतीय नाविकों की जान गई है।

फार्महाउस में कंपनी नीति का हवाला देकर जमा कराए फोन, बाइक से बैग लेकर भाग निकले आरोपी

कराची, एजेंसी: पाकिस्तान के कराची में नौकरी का झांसा देकर कम से कम 60 युवतियों के मोबाइल फोन लेकर ठग फरार हो गए। आरोपियों ने सोशल मीडिया और वाट्सऐप समूहों के जरिए युवतियों को एक कार्यक्रम में स्टॉल संभालने का काम देने की बात कही थी। 30 सितंबर को उन्हें कराची के बाहरी इलाके स्थित एक फार्महाउस ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, फार्महाउस पहुंचने के बाद कंपनी की नीति का हवाला देकर सभी युवतियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए। कुछ समय बाद आरोपी मोबाइल

नौकरी का झांसा देकर 60 युवतियों के मोबाइल लेकर फरार हुए ठग

से भरा बैग लेकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मामले का मुख्य आरोपित अभी फरार है। उसके दो भाइयों को थाने लाया गया है, जबकि उसकी एक महिला साथी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिसकर्मी मुहम्मद अली ने बताया कि सभी युवतियां नौकरी की तलाश में थीं और मध्यमवर्गीय परिवारों से आती हैं। उन्हें एक सप्ताह काम करने के लिए प्रतिदिन 2,000 पाकिस्तानी रुपये और अन्य सुविधाएं देने का वादा किया गया था। उन्हें बताया गया था कि कराची के बाहर एक सुरक्षित



परिसर में कार्यक्रम आयोजित होगा और वहां स्टॉल लगाने होंगे। 30 सितंबर को युवतियों को बहारिया टाउन ले जाने के बजाय फार्महाउस पहुंचाया गया। इससे

कुछ युवतियां घबरा गईं। मुख्य आरोपित और उसके साथी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वहां महिला समन्वयक से मुलाकात होगी और दोपहर के भोजन के बाद सभी को कार्यक्रम स्थल ले जाया जाएगा। इसके बाद कंपनी नीति बताकर मोबाइल जमा करा लिए गए और काम पूरा होने के बाद फोन लौटाने की बात कही गई। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपित कराची से भागकर गुजरांवाला चला गया है। उसके दोनों भाइयों ने फोन पर उससे बात कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।

मायावी न्यूट्रिनो कण खोजने वाले हालजेन को मिला नोबेल

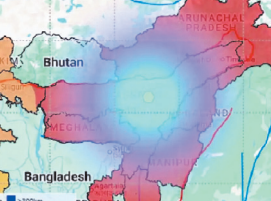


स्टॉकहोम, एजेंसी: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2026 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए फ्रांसिस हालजेन के नाम की घोषणा की है। उन्हें आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में निर्णायक योगदान और खगोलीय मूल के उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए यह सम्मान दिया गया है। हालजेन ने 1988 में विचार प्रस्तुत किया था कि दक्षिण ध्रुव की बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। न्यूट्रिनो बेहद मायावी कण हैं, जो पदार्थ के साथ बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं और पृथ्वी तथा मानव शरीर से भी गुजर जाते हैं।

नगांव में 33 किमी गहराई पर आया पहला झटका, तमेंगलॉंग में 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज

नईदुनिया ब्यूरो, गुवाहाटी: असम के नगांव में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 दर्ज की गई। भूकंप सुबह 4 बजकर 23 मिनट पर आया। इसकी गहराई जमीन के भीतर 33 किलोमीटर थी। असम

असम में 4.5 तीव्रता का भूकंप, चार मिनट बाद मणिपुर में भी कांपी धरती



झटके दर्ज किए गए। पहले असम के नगांव में 4.5 तीव्रता का भूकंप

आया और इसके चार मिनट बाद मणिपुर के तमेंगलॉंग में 2.9 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, नगांव में आए भूकंप का केंद्र जमीन से 33 किलोमीटर नीचे था, जबकि तमेंगलॉंग में आए भूकंप की गहराई 12 किलोमीटर दर्ज की गई।

अफजल से जुड़ी संपत्ति पर चला बुलडोजर

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकी अफजल गुरु से जुड़ी संपत्ति को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। स्थानीय स्तर पर इस संपत्ति को 'डेयरी फार्म' के नाम से जाना जाता था। अधिकारियों के अनुसार, यह परिसर सरकारी बाढ़ नियंत्रण भूमि पर स्थित था। अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति को खाली कराने के लिए वहां रह रहे लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। कार्रवाई के दौरान इलाके में

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपत्ति को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह संपत्ति अफजल गुरु से जुड़ी हुई थी और स्थानीय स्तर पर इसे डेयरी फार्म के नाम से जाना जाता था। सरकारी बाढ़ नियंत्रण भूमि पर स्थित होने के कारण इसे खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रशासन की कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है।

विवश्ता

अपनी आवाज को सुरक्षित रखने ट्रेडमार्क आवेदन, ऐसा कदम उठाने वाली पहली विश्व नेता बनी इटली की प्रधानमंत्री

मेलोनी को एआई से अपनी आवाज चोरी होने का डर



वाक्य उनकी वर्ष 2021 में प्रकाशित आत्मकथा का शीर्षक भी

था और उनके राजनीतिक प्रचार से भी जुड़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के

जरिए किसी व्यक्ति की आवाज की रिकॉर्डिंग से उसके बोलने के

तरीके, उतार-चढ़ाव और उच्चारण का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके बाद उसी आवाज जैसी नई रिकॉर्डिंग तैयार की जा सकती है, जिसमें वह व्यक्ति ऐसी बातें कहते हुए सुनाई दे सकता है जो उसने वास्तव में कभी नहीं कहीं। आवाज को नकल के लिए कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग भी पर्याप्त हो सकती है, हालांकि अधिक स्वाभाविक आवाज के लिए ज्यादा रिकॉर्डिंग उपयोगी होती है। इस तकनीक के गलत इस्तेमाल से नेताओं, कलाकारों और आम लोगों की आवाज में फर्जी बयान तैयार कर उन्हें वास्तविक बताकर फैलाने का खतरा रहता है। इसी

वजह से आवाज को डिजिटल पहचान का हिस्सा मानते हुए उसके कानूनी संरक्षण की मांग बढ़ रही है। मेलोनी से पहले भी कई कलाकार अपनी आवाज और पहचान को कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश कर चुके हैं। जनवरी में अमेरिकी अभिनेता मैथ्यू मैककोनाही ने अपनी तस्वीर और आवाज को ट्रेडमार्क कराने के लिए आवेदन किया था। अगस्त में 80 से अधिक कलाकारों ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एंटी बर्नहम से ऐसा कानून बनाने की मांग की थी, जिससे लोगों को अपनी आवाज के इस्तेमाल पर कानूनी अधिकार मिल सकें।

